आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(4) ऑनलाईन / आकाशि / अकाद / 2019–20 / 1782 दिनांकः 27.5.2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि, राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ ऑर्ट्स के अतिरिक्त)
राजस्थान।

विषयः—सत्र 2020—21 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में।

आप सबके सतत् सहयोग से राजकीय महाविद्यालयों में ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया सफलता पूर्वक सम्पन्न की जा रही है। सत्र 2020—21 में ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय में ऑन लाईन प्रवेश की रूपरेखा तैयार कर इसे सफलता पूर्वक लागू करने की कार्ययोजना बना लें।
महाविद्यालय में ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया के लिए हर सत्र की भांति निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :—

1. महाविद्यालय के दो ऐसे संकाय सदस्य को नोडल अधिकारी (ऑनलाईन प्रवेश—स्नातक) एवं नोडल अधिकारी (ऑनलाईन प्रवेश—स्नातकोत्तर) के रूप में नामित करना जो कि क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश की सम्पूर्ण प्रवेश प्रकिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सामान्य जानकार हो।
2. उक्त नोडल अधिकारी ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया के लिए आयुक्तालय से समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। आयुक्तालय द्वारा समय समय पर देय प्रशिक्षण प्राप्त कर महाविद्यालय में कार्यरत प्रवेश समितियों को इस प्रकिया की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करवायेंगे एवं आवश्यकतानुसार उन्हें प्रशिक्षित भी करेंगे। साथ ही आयुक्तालय के लिए सम्पूर्ण प्रवेश प्रकिया के दौरान एकल सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करेंगे।
3. महाविद्यालय के समस्त स्नातक पार्ट प्रथम (कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रति वर्ग 80 व विज्ञान संकाय में 70 विद्यार्थियों के आधार पर) एवं स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कुल उपलब्ध सीटों की संख्या प्रवेश नीति के अनुसार आरक्षित सीटों का विवरण ऐच्छिक व अनिवार्य विषयों का विवरण, महाविद्यालय में उपलब्ध विषय समूह, फीस एवं बैंक विवरण आदि की सूचना प्राचार्य व प्रवेश समिति से अनुमोदन उपरान्त ऑनलाईन प्रवेश माड्यूल में निर्धारित तिथि तक अपलोड करना।
4. महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर ऑनलाईन प्रवेश हेतु सतत् इन्टरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर प्रिन्टर, स्केनर व पावर बैक—अप आदि की पर्याप्त व्यवस्था करना।
5. प्राचार्य, उपाचार्य, नोडल अधिकारी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सभी संकायों के संयोजकों व सह—संयोजको के नाम, ई—मेल, मोबाईल नम्बर व महाविद्यालय के दूरभाष नम्बर की सूचना आयुक्तालय को सम्बन्धित स्प्रेडशीट में प्रेषित करना।
6. ऑनलाईन एडमिशन प्रोसेस 2020—21 प्रारम्भ होने से पूर्व **http://hte.rajasthan.gov.in** पर महाविद्यालय के समस्त वेबपेजज को अद्यतन करना। प्रवेश से सम्बन्धित विवरिणका, फीस संरचना, ऐच्छिक विषय, विषय संयोजन, हेल्प डेस्क, नोडल अधिकारी, प्रवेश प्रभारी आदि के नाम व मोबाईल नम्बर अद्यतन करना।

सत्र 2019—20 में खोले गये 38 नवीन महाविद्यालय में ऑनलाईन प्रवेश एवं प्रवेश नवीनीकरण हेतु विशेष निर्देश :—

नवीन महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में ऑफ लाईन प्रवेश दिया गया था। इन महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट द्वितीय वर्ष के लिए प्रवेश नवीनीकरण के लिए स्नातक पार्ट प्रथम में दिये गये प्रवेश का डाटा निर्धारित प्रकिया के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश मॉड्यूल में आयुक्तालय द्वारा प्रेषित यूजर मेनूअल के अनुसार अद्यतन करना होगा। इसके लिए स्प्रेडशीट में महाविद्यालय प्राचार्य, प्रवेश नोडल अधिकारी से सम्बन्धित सूचना निर्धारित तिथि तक भरनी होगी जिससे ऑनलाईन प्रवेश मॉड्यूल मे आपके महाविद्यालय को जोडा जा सकेगा। सत्र 2020—21 में आपके महाविद्यालय में स्नातक पार्ट प्रथम में भी ऑनलाईन प्रवेश होंगे, जिसके लिए स्नातक पार्ट प्रथम से सम्बन्धित मास्टर्स की एन्ट्री ऑनलाईन प्रवेश मॉड्यूल में करनी होगी। तत्सम्बन्धी सूचना भी मॉड्यूल में भरने की तैयारी कर निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ करें।

उपरोक्त वर्णित वांछित सूचनाएं (यथा प्राचार्य / उपाचार्य की सूचना, नोडल आफिसर UG/PG की सूचना समन्वयकों की सूचना, कम्प्यूटर संसाधनों एवं इन्टरनेट की सूचना, बैंक एकाउन्ट डिटेल की सूचना) आपके महाविद्यालय की gmail पर Admission 2020-21 नाम से प्रेषित Spreadsheet में **दिनांक 03.06.2020** तक भरना सुनिश्चित करें।

ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया के कियान्वयन में होने वाली सम्भावित शंकाओं के सम्बन्ध में आयुक्तालय के डा. पंकज माथुर (9414336126) (नोडल अधिकारी—ऑनलाईन एडमिशन) / श्री संदीप कुमार (9829066259) / श्री बनफूल अग्रवाल (0141—2706106) से कार्यालय समय में दूरभाष नम्बर या ई मेल **dce.oap@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण व समयबद्ध प्रकिया है। इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें।

(प्रदीप कुमार बोरड IAS)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

27/5/2020
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)